

मध्यप्रदेश विधान सभा



दिसम्बर, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 11, 1947)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) -

(क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 71-क की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएँ :-

- (i) क्रमांक CT/4/2/0001/2024-Sec-1-05(CT) (21), दिनांक 03 जून, 2025,
- (ii) क्रमांक CT/4/0001/2022-Sec-1-पांच (CT) (21), दिनांक 05 जून, 2025,
- (iii) क्रमांक CT/4/0001/2022-Sec-1-पांच(CT)(38), दिनांक 22 सितम्बर, 2025 एवं
- (iv) क्रमांक CT-4-7-0001-2025-Sec-1-पांच(CT)(41), दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 तथा

(ख) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएँ :-

- (i) क्रमांक FA-3-35/2017/1/पांच (25), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
- (ii) क्रमांक FA-3-34/2017/1/पांच (26), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
- (iii) क्रमांक FA-3-23/2018/1/पांच (27), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
- (iv) क्रमांक CT/8/0010/2025-Sec-1-05(CT) (28), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
- (v) क्रमांक एफ ए-3-43/2017/1/पांच (29), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
- (vi) क्रमांक एफ ए-3-42/2017-1-पांच (30), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
- (vii) क्रमांक एफ ए-3-33/2017/1/पांच (33), दिनांक 19 सितम्बर, 2025,
- (viii) क्रमांक CT/8/0011/2025-Sec-1-पांच (CT) (31), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
- (ix) क्रमांक CT/8/0012/2025-Sec-1-पांच (CT) (32), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
- (x) क्रमांक एफ ए-3-11-2018-1-पांच (34), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
- (xi) क्रमांक CT/8/0013/2025-Sec-1-पांच (CT) (36), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
- (xii) क्रमांक CT/8/0014/2025-Sec-1-पांच (CT) (37), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
- (xiii) क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच (35), दिनांक 22 सितम्बर, 2025 एवं
- (xiv) क्रमांक एफ ए-3-35-2017-1-पांच (40), दिनांक 13 अक्टूबर, 2025,

पटल पर रखेंगे।

(2) सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 की कंडिका 20 की उप कंडिका (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगी।

(3) श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार-

- (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2024-2025,
(ख) म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वित्तीय वर्ष 2024-2025, एवं
(ग) मध्यप्रदेश राज्य लघु बनोपज (व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित) भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2024-2025

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-2025,

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, एवं

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1925/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) – (क) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला छिन्दवाड़ा एवं कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा जिला पांडुर्णा, ग्वालियर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा एवं कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा जिला पांडुर्णा एवं छिन्दवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री पर्यटन, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री दिनेश जैन बोस, हेमन्त सत्यदेव कटारे, महेश परमार, सदस्य, सिहोर स्थित वीआईटी युनिवर्सिटी में दूषित पानी व निम्नस्तरीय भोजन के कारण विद्यार्थियों में पीलिया होने से छात्रों में व्याप्त आक्रोश की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य, प्रदेश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्मार्टफोन और इंटरनेट के अनियंत्रित उपयोग से उत्पन्न स्थिति की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 52-बिजावर से निर्वाचित सदस्य, श्री राजेश कुमार शुक्ला (बबलू भैया) को विधान सभा के दिसम्बर, 2025 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति, याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित नवम् एवं चतुर्दश विधानसभा का कार्यान्वयन से संबंधित सप्तम् प्रतिवेदन तथा अभ्यावेदनों से संबंधित बयालीसवां, तैतालीसवां एवं चवालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री हरिशंकर खटीक, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां एवं बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री दिलीप सिंह परिहार, सभापति, कृषि विकास समिति का षष्ठम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत बिडपुरा में सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (2) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के ओरछा में गौ-अभ्यारण बनाये जाने,
- (3) श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम झिरिया से कुंडाली तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (4) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य, पन्ना जिले के गुनौर अंतर्गत ग्राम पिपरिया में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराये जाने,
- (5) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम खद्दन का पुरा को एकल संपर्कता से जोड़े जाने,
- (6) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम लाखुडेड़ी में खेल मैदान का निर्माण कराये जाने,
- (7) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम गोरइया से पचौहा पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम बरेठी का पटवारी रिकार्ड अद्यतन करवाये जाने,
- (9) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के शासकीय राघव कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का कृषि महाविद्यालय में उन्नयन करने,
- (10) श्री प्रह्लाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिला अंतर्गत शाहनगर में डबल लॉक खाद्य वितरण केन्द्र खोले जाने,
- (11) श्री बिसाहलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले में एयरपोर्ट का निर्माण कर हवाई सेवा प्रारंभ कराये जाने,
- (12) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत विरावन में दिगोड़ा-मोहनगढ़ मुख्य मार्ग से ग्राम पुनोल तक मिट्टी मुरम रोड का निर्माण कराये जाने,
- (13) श्री सोहनलाल बाल्मीकी, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम बुदलापठार से लिंगा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (14) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य, आगर मालवा जिले के श्री कालवा बालाजी हनुमान मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने,
- (15) श्री मोंटू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत बनिहार फाल्या, चोगड़ीया फाल्या में गोई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,
- (16) श्री रमेश प्रसाद खट्टीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसोद से सलैया तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (17) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, सागर जिले के बाघराज वार्ड अंतर्गत सी.सी.रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने,
- (18) श्री विपीन जैन, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम सेमलियाहीरा में सोमली नदी पर स्टापडेम का मरम्मत कार्य कराये जाने,
- (19) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य, ग्वालियर जिले के भितरवार अंतर्गत ग्राम रिछारीखुर्द स्थित तालाब का गहरीकरण एवं उचित स्थान पर मोरी निर्माण कराये जाने,
- (20) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, नर्मदापुरम जिले के झंडा चौक, इटारसी के आवासों के आवंटितों के नाम रजिस्ट्री किये जाने,
- (21) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम भारतपुर में शासकीय माध्यमिक शाला की ओर सी.सी.रोड निर्माण कराये जाने,
- (22) श्री हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले की नगर छापीहेड़ा में विश्राम गृह स्वीकृत कराये जाने,
- (23) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम चरेगांव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास प्रारंभ किये जाने,
- (24) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम सकराया में सी.सी.रोड का निर्माण कराये जाने,
- (25) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक 21 में सी.सी. नाला एवं नवीन सीवर लाईन निर्माण कराये जाने,

- (26) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के लालबर्रा में सिविल न्यायालय की स्थापना किये जाने,
- (27) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के कमला नेहरू शास. कन्या उ.मा. विद्यालय जावरा का भवन निर्माण स्वीकृत कराये जाने,
- (28) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य, मुरैना जिले के किसानों को फसलों का मुआवजा दिलाये जाने,
- (29) श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिले के गैस राहत अस्पतालों में विशेषज्ञों/जांच उपकरणों की कमी को दूर किये जाने,
- (30) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम भण्डारदा से सिद्धी तक पक्की सड़क बनाये जाने,
- (31) डॉ. चिंतामणि मालवीय, सदस्य, रतलाम जिले के आलोट में 500 मेट्रिक टन का वेयरहाउस निर्माण करने,
- (32) श्री कालु सिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय आली में स्कूल परिसर में पेवर्स निर्माण कार्य कराये जाने,
- (33) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम पथरा नारायण से माता मंदिर तक WBM रोड निर्माण कराये जाने,
- (34) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम ठरकाखेड़ा से पिपरिया मार्ग मय पुलिया/पुल निर्माण कराये जाने,
- (35) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक 63 में जलालपुर में सी.सी. कार्य कराये जाने,
- (36) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य, शाजापुर जिले के नगर कालापीपल में शासकीय विश्राम गृह बनाये जाने,
- (37) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाह, सदस्य, सतना शहर के वार्ड क्रमांक 45 में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,
- (38) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पंचायत रंगौली सिरमौर में रोड का निर्माण कराये जाने,
- (39) श्री मुकेश टंडन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम जमाल्दी से गजार तक पुलियों सहित पक्की सड़क निर्माण कराये जाने,
- (40) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के तहसील मुख्यालय स्तीमनाबाद में सर्वसुविधायुक्त बस स्टेंड का निर्माण कराये जाने,
- (41) इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम मझगुवां से सुल्तानपुर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (42) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मंडला जिले के सुभाषचंद्र बोस कन्या छात्रावास अरौली में नवीन भवन निर्माण कराये जाने,
- (43) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम रहटा एवं अन्य ग्रामों में पड़ने वाली पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने,
- (44) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम नारायणा में ग्राम तुलसापुर से शेरपुर तक टू लेन रोड का निर्माण कराये जाने,
- (45) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर , सदस्य, टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गनेशपुरा अंतर्गत छिरवां खेरा में प्राथमिक शाला प्रारंभ कराये जाने,
- (46) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम कराडिया महाराज से सोकड़ी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (47) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम पंचायत मगरोल में पुलिया का निर्माण कराये जाने,
- (48) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम हिनोतिया से छिड़ोरी पाचौर एवं अन्य ग्रामों तक महुआ नदी पर पुल निर्माण स्वीकृत कराये जाने,
- (49) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के ग्राम पिपरनी में धर्मशाला के पीछे वाले नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (50) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम आम्बी में पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति कराये जाने,

(51) श्री केदार चिङ्गाभाई डाबर, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम देजला एवं अन्य ग्रामों के तालाबों की मुख्य नहरों एवं मायनर नहर के नालों का पक्का निर्माण कराये जाने,

(52) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले के ग्राम सरवट पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(53) श्री कामाख्या प्रताप सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम अलिपुरा के तालाब का सौंदर्यकरण एवं घाट का निर्माण कराये जाने,

(54) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के नगर सेवड़ा के बायपास से पुराने सेवड़ा के लिये रोड निर्माण कराये जाने,

(55) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम भीसमपुर मार्ग से गोपालपुर चोरखड़ी तक पक्की रोड एवं नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(56) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत हाईवे से ब्रिजपुर तक डामरीकृत रोड का निर्माण कराये जाने,

(57) श्री बाला बच्चन, सदस्य, बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत चितावल अंतर्गत क्रमांक 04 में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराये जाने,

(58) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य, बालाधाट जिले के वारासिवनी-खैरलांजी में आई.टी.आई. की कक्षाएं प्रारंभ कराये जाने,

(59) श्री बूज बिहारी पटैरिया, सदस्य, सागर जिले के खैरी से खजुरिया मार्ग एवं खैरी मुख्य मार्ग से महगवां ब्हाया ईदलपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वक्तव्य.

श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (अधिकृत-खनिज साधन विभाग), दिनांक 5 अगस्त, 2025 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 117 (क्रमांक 2856) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

8. वर्ष 2025-2026 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2025-2026 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

9. वर्ष 2011-2012 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2011-2012 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन करेंगे।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) 30 मि. विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशःविचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशःविचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भोपाल :

दिनांक : 1 दिसम्बर, 2025

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.